पत्रांकः: जी.एस.टी./2017-18/ 1718096 / 1478 /वाणिज्य कर

कार्यालय- कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(जी.एस.टी. अनुभाग)
लखनऊः: दिनांकः: 05 फरवरी, 2018

समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1,
समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक),
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

विषयः- आयुर्वेदिक औषधियों के वर्गीकरण के सम्बंध में।

1. दिनांक 01 जुलाई 2017 से दिनांक 13 अक्टूबर 2017 तक आयुर्वेदिक औषधियाँ 12 प्रतिशत की दर से करयोग्य रहीं हैं।
2. दिनांक 13 अक्टूबर 2017 से उ0प्र0 एस0जी0एस0टी0 अधिनियम तथा केन्द्रीय जी0एस0टी0 अधिनियम की अनुसूची-1 में प्रविष्टि क्रमांक- 181A निम्न प्रकार शामिल की गयी-

181A	30	Medicaments (including those used in Ayurvedic, Unani, Siddha, Homeopathic or Bio-chemic systems), manufactured exclusively in accordance with the formulae described in the authoritative books specified in the First Schedule to the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940) or Homeopathic Pharmacopoeia of India or the United States of America or the United Kingdom or the German Homeopathic Pharmacopoeia, as the case may be, and sold under the name as specified in such books or Pharmacopoeia;

उक्त से स्पष्ट है कि औषधि प्रसाधन सामाग्री अधिनियम-1940 (Drugs and Cosmetics Act, 1940) की अनुसूची-1 में अंकित प्राधिकृत पुस्तकों में वर्णित फार्मूलों के अनुसार निर्मित आयुर्वेदिक औषधियाँ 5 प्रतिशत की दर से करयोग्य हैं।

3. उक्त संदर्भित अधिनियम की अनुसूची-1 में अंकित प्राधिकृत पुस्तकों में वर्णित फार्मूलों से भिन्न फार्मूलों से निर्मित अन्य आयुर्वेदिक औषधियाँ 12 प्रतिशत की दर से करयोग्य हैं।

मुख्यालय स्तर पर आयुर्वेदिक औषधियों पर कर की दर के सम्बन्ध में भ्रम की स्थिति होने तथा विभिन्न आयुर्वेदिक औषधियों पर कर की दर के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट किये जाने विषयक प्रत्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

इस सम्बन्ध में सभी तथ्यों से निदेशक, आयुर्वेद सेवायें उत्तर प्रदेश को अवगत कराते हुए आयुर्वेदिक औषधियों के वर्गीकरण के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया।

लाइसेंस प्राधिकारी/निदेशक, आयुर्वेद सेवायें, उत्तर प्रदेश द्वारा अपने पत्र सं0– 1204/डी.जी. –318/2018 दिनांक 21.02.2018 से स्थिति निम्नवत् स्पष्ट की गयी –
आयुर्वेदिक औषधियाँ दो प्रकार की होती हैं, क्रमशः शास्त्रीय औषधि एवं अनुभूत औषधि –

शास्त्रीय औषधिः–

ऐसी औषधियाँ जो Drugs & Cosmetics Act, 1940 की अनुसूची–1 में अंकित प्राधिकृत पुस्तकों में वर्णित नाम एवं फार्मूलों तथा दी गई निर्माण विधि के आधार पर निर्मित एवं बिक्री की जाती हैं, शास्त्रीय औषधियाँ कहलाती हैं। **इन औषधियों की लैविल/पैकिंग पर शास्त्रीय औषधि (Classical Medicine) तथा Drugs & Cosmetics Act, 1940 की अनूसूची–1 में अंकित किसी एक प्राधिकृत पुस्तक (जिस पुस्तक में वर्णित नाम व फार्मूले के आधार पर बनाई गई है) का नाम अंकित रहता है।** इस प्रकार की आयुर्वेदिक औषधियाँ 05 प्रतिशत की दर से करयोग्य की श्रेणी में आती हैं। (अनूसूची–1 में अंकित पुस्तकों की सूची संलग्न है)।

अनुभूत औषधिः–

ऐसी औषधियाँ जो कि आयुर्वेदिक औषधि निर्माताओं द्वारा स्वानुभूत फार्मूलों के आधार पर तैयार कर निर्मित एवं बिक्री की जाती है, वे अनुभूत औषधियाँ कहलाती हैं। **इन औषधियों की लेविल/पैकिंग पर आयुर्वेदिक औषधि/अनुभूत औषधि (Patent/Prorietary Medicine) एवं औषधि में प्रयुक्त घटकों के नाम/मात्रा एवं औषधि का नाम अंकित रहता है।** इस प्रकार की आयुर्वेदिक औषधियाँ 12 प्रतिशत की दर से करयोग्य की श्रेणी में आती हैं।

कृपया तद्नुसार अधीनस्थ अधिकारियों तथा व्यापारिक संगठनों को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार।

5/3/18

(कामिनी चौहान रतन)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

प्रेषक,

लाइसेन्स प्राधिकारी/निदेशक,
आयुर्वेद सेवायें,
उ0 प्र0 लखनऊ।

सेवा में,

कमिश्नर,
वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

संख्या : 1204 /डी0जी0–318/2018, दिनांक– 21/2/18

विषय : आयुर्वेदिक/सिद्ध/यूनानी औषधियों के वर्गीकरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्रांक–1365/वाणिज्य कर, दिनांक–07 फरवरी, 2018 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा 5 प्रतिशत की दर से कर योग्य एवं 12 प्रतिशत की दर से कर योग्य आयुर्वेदिक/सिद्ध/यूनानी औषधियों की सूची पृथक–पृथक उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।

उक्त सम्बन्ध में अवगत कराना है कि अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय द्वारा मात्र आयुर्वेदिक औषधियों के निर्माणार्थ लाइसेन्स निर्गत किया जाता है। आयुर्वेदिक औषधियाँ दो प्रकार की होती हैं, क्रमशः शास्त्रीय औषधि एवं अनुभूत औषधि।

शास्त्रीय औषधि :–

ऐसी औषधियॉ जो Drugs & Cosmetics Act, 1940 की अनुसूची–1 में अंकित प्राधिकृत पुस्तकों **(पुस्तकों की सूची संलग्न)** में वर्णित नाम एवं फार्मूलों तथा दी गई निर्माण विधि के आधार पर निर्मित एवं बिक्री की जाती हैं, शास्त्रीय औषधियॉ कहलाती हैं इन औषधियों की लैविल/पैकिंग पर शास्त्रीय औषधि (Classical Medicine) तथा Drugs & Cosmetics Act, 1940 की अनुसूची–1 में अंकित किसी एक प्राधिकृत पुस्तक (जिस पुस्तक में वर्णित नाम व फार्मूले के आधार पर बनाई गई है) का नाम अंकित रहता है। इस प्रकार की आयुर्वेदिक औषधियॉ 05 प्रतिशत की दर से कर योग्य की श्रेणी में आती हैं।

अनुभूत औषधि :–

ऐसी औषधियॉ जो कि आयुर्वेदिक औषधि निर्माताओं द्वारा स्वानुभूत फार्मूलों के आधार पर तैयार कर निर्मित एवं बिक्री की जाती है, वे अनुभूत औषधियॉ कहलाती हैं। इन औषधियों की लैविल/पैकिंग पर आयुर्वेदिक औषधि/अनुभूत औषधि (Patent/Prorietary Medicine) एवं औषधि में प्रयुक्त घटकों के नाम/मात्रा एवं औषधि का नाम अंकित रहता है। इस प्रकार की आयुर्वेदिक औषधियॉ 12 प्रतिशत की दर से कर योग्य की श्रेणी में आती हैं।

कृपया तद्नुसार अवगत होने का कष्ट करे।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(प्रो0 आर0 आर0 चौधरी)
लाइसेन्स प्राधिकारी/निदेशक।

[1][THE FIRST SCHEDULE
[*See* Section 3(*a*)]

A.—[2][AYURVEDIC AND SIDDHA SYSTEMS]

Serial No.	Name of Book
	AYURVEDA
1	Arogya Kalpadruma
2	Arka Prakasha
3	Arya Bhishak
4	Ashtanga Hridaya
5	Ashtanga Samgraha
6	Ayurveda Kalpadruma
7	Ayurveda Prakasha
8	Ayurveda Samgraha
9	Bhaishajya Ratnavali
10	Bharat Bhaishajya Ratnakara
11	Bhava Prakasha
12	Brihat Nighantu Ratnakara
13	Charaka Samhita
14	Chakra Datta
15	Gada Nigraha
16	Kupi Pakva Rasayana
17	Nighantu Ratnakara
18	Rasa Chandanshu
19	Rasa Raja Sundara
20	Rasaratna Samuchaya
21	[3][Rasatantra Sara Va Siddha Prayoga Sangraha—Part I]
[4][21(*a*)	Rastantra Sar Va Siddha Prayog Samgraha Part II (Edition 2006)]
22	Rasa Tarangini
23	Rasa Yoga Sagara
24	Rasa Yoga Ratnakara

1. *Subs.* by Act 13 of 1964, S. 31, for the Schedule, First Schedule came into force w.e.f. 1-2-1969 and the Second Schedule came into force (w.e.f. 15-9-1964).
2. *Subs.* for "Ayurvedic (including Siddha) System" by Act 68 of 1982, S. 41 (w.e.f. 1-2-1983).
3. *Subs.* by Noti. No. 658(E), dt. 31-8-1994.
4. *Added* by GSR 337(E), dt. 15-4-2010.

Serial No.	*Name of Book*
25	Rasa Yoga Samgraha
26	Rasendra Sara Samgraha
27	Rasa Pradipika
28	Sahasrayoga
29	Sarvaroga Chikitsa Ratnam
30	Sarvayoga Chikitsa Ratnam
31	Sharangadhara Samhita
32	Siddha Bhaishajya Manimala
33	Siddha Yoga Samgraha
34	Sushruta Samhita
35	Vaidya Chintamani
36	Vaidyaka Shabda Sindu
37	Vaidyaka Chikitsa Sara
38	Vaidya Jiwan
39	Basava Rajeeyam
40	Yoga Ratnakara
41	Yoga Tarangini
42	Yoga Chintamani
43	Kashyapasamhita
44	Bhelasamhita
45	Vishwanathachikitsa
46	Vrindachikitsa
47	Ayurvedachintamani
48	Abhinavachintamani
49	Ayurveda-ratnakar
50	Yogaratnasangraha
51	Rasamrita
52	Dravyagunanighantu
53	Rasamanjari
54	Bangasena
[5][54-A	Ayurvedic Formulary of India and its Parts]
54-B	Ayurveda Sara Samgraha]
[6][54-C	Ayurvedic Pharmacopoeia of India]
[7][54-D	Ayurvedic Pharmacopoeia of India and its Parts]

5. *Subs.* by GSR 337(E), dt. 15-4-2010. Prior to substitution it read as:
"54-A. Ayurvedic Formulary of India"
6. *Ins.* by GSR 423(E), dt. 11-6-2002.
7. *Ins.* by GSR 337(E), dt. 15-4-2010.